Volume-08
Issue-08
August-2021

ISSN: 2349-7637 (Online)
RESEARCH HUB International Multidisciplinary Research Journal
https://rhimrj.co.in/ [Peer-Reviewed Journal]

भारत–अमेरिका परमाणु संबंध : सामान्य अवलोकन

Dr. Irsad Ali Khan

Associate Professor, Political Science, Government Bangur College, Didwana

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 20 August 2021

Keywords
भारत, अमेरिका, परमाणु ।

ABSTRACT

भारत की स्वतन्त्रता से आज तक इसके अमेरिका के साथ सम्बन्धों का मूल्यांकन करने से पता चलता है कि दोनों के सम्बन्धों में हमेशा उतार चढ़ाव की स्थिति रही है। दोनों के बीच मधुर सम्बन्धों का अभाव रहा है। भारत और अमेरिका कुछ मामलों में साझेदार हैं जिससे वे प्रायः एक दूसरे के स्वाभाविक मित्र होने की बात कहते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र है जबकि अमेरिका विश्व का सबसे महान जनतंत्र है। दोनों कानून का सम्मान करते हैं, दोनों के अपने–अपने संघीय ढांचे हैं, दोनों की स्वतंत्र न्यायपालिका है, दोनों मानवाधिकार का सम्मान करते हैं, दोनों स्वतन्त्रता के आदर्शों को संजोकर रखते हैं और दोनों का समाज गत्यात्मक बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय और खुला है।

शोध विस्तार– कुछ समानताओं के बावजूद, भू–सामरिक कारणों से शीतयुद्ध के दौरान दोनों देश एक दूसरे के विपरीत खड़े रहे। अमेरिका पश्चिमी संघ का नेतृत्व कर रहा था जो सोवियत संघ के साम्यवादी गुट का विरोधी था जबकि भारत ने पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया और गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। जहां तक अमेरिका का प्रश्न है गुट–निरपेक्ष आन्दोलन उसके लिए साम्यवाद से थोड़ा–सा ही बेहतर था। भारत ने नेहरूवादी समाजवाद के अन्तर्गत बन्द अर्थव्यवस्था को अपनाया जो अमेरिकी खुली अर्थव्यवस्था की नीति से मेल नहीं खाता था। भारत ने कोरियाई और वियतनाम युद्ध में अमेरिकी नीति का विरोध किया। भारत–अमेरिका सम्बन्ध उस समय सबसे खराब हो गए जब बांग्लादेश के मुद्दे पर 1971 में भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और अमेरिका ने भारत पर पाकिस्तान के पक्ष में दबाव बनाया। शीत युद्ध की समाप्ति और भारत द्वारा उदारीकरण किए जाने के बाद की स्थिति में भारत–अमेरिकी संबंधों में बदलाव आया। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अर्थ अमेरिका के लिए एक बड़ा बाजार उपलब्ध होना था। जबकि भारत के लिए 1990 के दशक के आर्थिक संकट से उबरने के लिए अमेरिकी सहयोग की आवश्यकता थी यद्यपि दोनों के सम्बन्ध 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद एक बार फिर खराब हो गए किन्तु यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं बनी रही। उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्राओं का दौर शुरू हुआ और दोनों देशों के सम्बन्ध पुनः बहाल हो गए।[1]

सन् 2004 में संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाषण के परिप्रेक्ष्य में जिसमें डॉ. सिंह ने कहा था कि भारत–अमेरिका सम्बन्धों का बेहतर रूप अभी सामने आना है। भारत–अमेरिकी सम्बन्ध के महत्व को समझा जा सकता है। दोनों देशों के बीच सम्बन्धों का अब तक का सर्वाधिक बेहतर रूप 2005 के असैन्य परमाणु समझौते के रूप में आया जिससे भारत के तीन दशक के नाभिकीय अज्ञातवास का दौर समाप्त कर दिया।

भारत–अमेरिका सम्बन्ध स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता बाद, शीतयुद्ध कालीन एवं उत्तर शीत युद्ध में कड़वाहट एवं मधुरता के दौर से होते हुए गुजरे हैं। यह दो असमान राष्ट्रों के बीच का सम्बन्ध है जिसमें एक महाशक्ति है और दूसरा महाशक्ति बनने के लिए संघर्षरत हैं। जिसकी 21वीं शताब्दी के मध्य में एक महाशक्ति के रूप में उभरने की पूरी संभावनाएं हैं। वर्तमान में भारत दक्षिण एशिया की एक प्रमुख शक्ति है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व की दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत रूस के मध्य जो अघोषित युद्ध हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उसे शीतयुद्ध के नाम से जाना जाता है। 15 अगस्त, 1947 ई. में जब भारत आजाद हुआ। उस समय अमेरिका भारत से अपेक्षा रखता था कि वह नाटो, सीटो, सेंटो जैसे सैनिक गुटों में सम्मिलित होकर, सोवियत रूस के साम्यवाद के प्रसार को रोकने में अमेरिका की मदद करे। लेकिन स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने गुटीय संघर्ष से दूर रहकर गुट–निरपेक्षता की स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। अमेरिका ने इसे संदेह की दृष्टि से देखा तथा कहा कि अमेरिका का साथ न देने वाले देश उसके विरोधी हैं।

भारतीय विदेश नीति के मौलिक सिद्धान्त और विशेषताएं भली–भांति परिभाषित हैं तथा ये आज भी वही हैं जिनका भारत की अन्तरिम सरकार के प्रधान के रूप में 1946 में पं. नेहरू ने वर्णन किया था। भारतीय विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता स्वतन्त्र परमाणु नीति और भारत के नए परमाणु स्तर को दृढ़ता से स्थापित करना है। जो भारत की राष्ट्रीय हितों पर आधारित स्वतन्त्र विदेश नीति है।[2]

भारत की परमाणु नीति स्वतंत्रता से आज तक शान्तिपूर्ण उपयोग एवं आत्मरक्षा की रही है। तथा भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, 10 अगस्त 1948 में डॉ. एच.जे. भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ अस्तित्व में आया। 1954 में परमाणु ऊर्जा से सम्बन्धित नीतियों के क्रियान्वयन के लिए नाभिकीय ऊर्जा विभाग का गठन किया गया। अमेरिका के साथ

वर्ष 1963 में भारत ने एक समझौता किया जिसके द्वारा अमेरिका ने भारत को तारापुर परमाणु संयंत्र की स्थापना एवं संवर्धित यूरेनियम के लिए 8 लाख डालर देना स्वीकार किया। इससे परमाणु तकनीकी के क्षेत्र में भारत–अमेरिकी सहयोग एक नए युग का सूत्रपात हुआ। इस प्रकार नेहरू युग में भारत–अमेरिका सम्बन्धों में कई सम्पर्क सूत्र पैदा हुए परन्तु राजनैतिक स्तर पर तनावपूर्ण एवं वैमनस्यतापूर्ण रहे।

सन् 1969 में अमेरिका की सहायता से भारत में प्रथम विद्युत संयंत्र तारापुर का व्यावसायिक परिचालन शुरू हुआ। परन्तु परमाणु अप्रसार सन्धि 1968 (एन.पी.टी.) पर भारत द्वारा हस्ताक्षर न करने तथा 18 मई, 1974 में परमाणु परीक्षण के कारण अमेरिका ने संयंत्र के लिए संवर्धित यूरेनियम देना बंद कर दिया। बाद में फ्रांस द्वारा यूरेनियम देने के बाद यह संयंत्र चालू किया गया। इसके बाद अमेरिका ने 45 सदस्यीय न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का 1974 में गठन किया। ताकि कोई देश भारत को परमाणु ईंधन न दे सके। इसका लक्ष्य भारत के परमाणु कार्यक्रम को रोकने का था।[3] .

सन् 1981 में रावतभाटा में राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र 1983 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, मद्रास के निकट कलपक्कम में भारत के तीसरे परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना 23 जुलाई, 1983 में की गई। इन कार्यों के लिए भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ठोस, सार्थक तथा साहसिक कदम उठाया। सन् 1987 में परमाणु कार्यक्रमों के विस्तार के लिए भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड (एन.पी.सी.आई.एल.) की स्थापना की।

अमेरिका सहित अन्य परमाणु शक्ति सम्पन्न देश भारत पर लगातार परमाणु परीक्षण निषेध सन्धि 1963, परमाणु अप्रसार सन्धि 1968 तथा व्यापक परमाणु निषेध सन्धि 1996 पर हस्ताक्षर करने का दबाव डालते रहे लेकिन भारत इसे भेदभाव पूर्ण सिद्ध कर हस्ताक्षर करने से इन्कार करता रहा। भारत द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा बचाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय दबाव से मुक्त होने के लिए 11 व 13 मई 1998 को पोखरण द्वितीय परीक्षण किया। इसके बाद भारत को कई अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका सहित अन्य प्रमुख परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों ने भारत की निन्दा की और इससे भारत– अमेरिका सम्बन्ध तनावपूर्ण हो गये।[4]

की परमाणु नीति का उद्देश्य सदा ही शान्तिपूर्ण रहा है। 10 मई 1954 को लोकसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि, "मैं सदन को इस बात की याद दिलाना चाहता हूँ कि शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु शक्ति का उपयोग भारत जैसे देश के लिए जहाँ ऊर्जा के स्त्रोत सीमित है, ज्यादा महत्वपूर्ण है।" चीन के बढते परमाणु कार्यक्रम को देखते हुए भारत ने भी अपने परमाणु कार्यक्रम में तेजी लाने का प्रयत्न किया। नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने भी अणु शक्ति के सैनिक उपयोग के लिए परियोजना बनाई थी।

परमाणु नीति का तात्पर्य उन मूलभूत सिद्धान्तों से है जिनका संबंध परमाणु शक्ति के विकास, उसके प्रयोग नियमन व प्रबंधन से है। भारत की परमाणु नीति पिछले साठ वर्षों से विभिन्न घरेलू व अन्तर्राष्ट्रीय तत्वों में अन्तःक्रिया के परिणामस्वरूप विकास का परिणाम है। भारत की परमाणु नीति के निर्धारण में विभिन्न तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारत की परमाणु नीति विध्वंसात्मक क्षमता के कारण उसके सैनिक प्रयोग की विरोधी है। परन्तु भारत इस ऊर्जा का प्रयोग गैर सैनिक उद्देश्यों हेतु करना चाहता है। इस गैर सैन्य उपयोग के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन, कृषि, उद्योग, चिकित्सा, विज्ञान, अंतरिक्ष आदि क्षेत्र में किया जा सकता है। जिससे राष्ट्र को विकास की राहों पर अग्रसर किया जा सके।

भारत में परमाणु तकनीक का विकास 1960 के दशक में होमी जहांगीर भाभा तथा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू के प्रयासों से आरंभ हुआ था। सन् 1969 में अमेरिका के सहयोग से तारापुर में प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया जिसके लिए परमाणु ईंधन के रूप में सबंर्धित यूरेनियम की आपूर्ति अमेरिका द्वारा की जाती थी।[5]

इंदिरा गाँधी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत की परमाणु नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। इंदिरा गाँधी जानती थी कि अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर निःशस्त्रीकरण की बात पर बल देना अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। परन्तु मात्र इसी कारण से वह भारत के परमाणु कार्यक्रम को स्थगित करने के पक्ष में नहीं थी। उन्होंने इस बात का हमेशा प्रयास किया कि भारत को परमाणु दिशा में आगे बढाने से रोकने वाली कोई अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था उस पर थोपी न जा सके। यही कारण थे कि 1968 में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से भारत ने मना कर दिया था। भारत की परमाणु नीति में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन की शुरूआत 18 मई 1974 के बाद हुई क्योंकि इसी दिन भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण नामक स्थान पर किया था। भारत ने अपना यह परमाणु परीक्षण ऊर्जा के शान्तिपूर्ण उपयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए किया था। लेकिन पोखरण–I विस्फोट के बाद अमेरिका ने यूरेनियम की आपूर्ति बंद कर दी जिससे भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को झटका लगा। अमेरिका व पाकिस्तान ने इस परीक्षण का जोरदार विरोध किया। जबकि सोवियत संघ सहित कुछ अन्य देशों ने इसका स्वागत किया।

गांधी के प्रधानमंत्री बनने के प्रारंभिक समय में भारत की परमाणु नीति गुटनिरपेक्ष आन्दोलन में दबी रही लेकिन जब उन्हें पता चला कि पाकिस्तान, चीन के सहयोग से और अमेरिका की परोक्ष सहमति से परमाणु क्षमता बढा रहा है तब उन्होंने भारत को परमाणु हथियारों से लैस करने की रुकी हुई प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी। इसके बाद पी.वी. नरसिंह राव ने भारतीय परमाणु नीति की निष्क्रियता को समाप्त करके उसे दोबारा से शुरू किया। इस प्रकार भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तीन चरणों वाला है। प्रथम चरण में दाबीय भारी पानी द्वारा रिएक्टरों की तकनीक शामिल है। दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की तकनीक का विकास है। इसमें प्लेटोनियम आधारित ईंधन से संवर्धन की प्रक्रिया प्रमुख हैं तथा तीसरे चरण में थोरियम–यूरेनियम चक्र की तकनीक का विकास सम्मिलित है। इसमें थोरियम द्वारा यूरेनियम–233 ईंधन की प्राप्ति की है। भारत में थोरियम की अधिकता पाई जाती है लेकिन अभी तक कुल विद्युत उत्पादन का मात्र 2.5 प्रतिशत ही उत्पादन करता

है क्योंकि अभी तक भारत में उच्च तकनीकी तथा यूरेनियम की उपलब्धता का अभाव है। भारत ने 1998 में पुनः परमाणु परीक्षण करके अपनी परमाणु नीति का विकास किया है।[6]

भारत की परमाणु नीति केवल शान्तिपूर्ण प्रयोग की ही नीति है। भारत परमाणु अस्त्रों के प्रयोग व संग्रह का विरोधी है। इसलिए भारत निःशस्त्रीकरण की प्रक्रिया का वास्तविक रूप से सत्यापन चाहता है। भारत प्रारंभ से लेकर आज तक विभिन्न मंचों के माध्यम से निःशस्त्रीकरण हेतु प्रयास करता रहा है। भारत की परमाणु नीति का उद्देश्य देश की सुरक्षा व प्रतिरक्षा सुनिश्चित करना है। इसीलिए भारत ने अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पोखरण–1 , पोखरण–II परमाणु परीक्षण किए।

लेकिन परमाणु परीक्षण के बावजूद भारत ने यह वादा दोहराया है कि अपनी ओर से इन परमाणु हथियारों का पहले प्रयोग नहीं करेगा तथा उन राष्ट्रों पर भी परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है। भारत केवल इन परमाणु हथियारों को एक प्रतिरोध के रूप में प्रयोग करता है। अतः यह कहा जा सकता है कि परमाणु शस्त्रों के विकल्प को वर्ष 1998 में अपनाने के बाद भी भारत इन शस्त्रों के प्रयोग में अत्यधिक आत्म नियंत्रण का पालन करेगा तथा उन्हें प्रतिरक्षात्मक साधन के रूप में और अन्तिम उपाय के रूप में न्यूनतम मात्रा में प्रयोग लायेगा।[7]

भारतीय परमाणु नीति की सयंमता और तार्किकता के कारण ही एनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर न करने के बादजूद अमेरिका ने जुलाई 2005 में भारत के साथ शान्तिपूर्ण नागरिक परमाणु सहयोग का समझौता किया था। इस समझौते के तहत अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेंसी द्वारा भारत के लिए विशेष निरीक्षण व्यवस्था प्रदान करने का प्रावधान है। यह समझौता भारत की परमाणु नीति के लिए और भारत अमेरिका संबधों के लिए सफलता का प्रतीक है। यह परमाणु समझौता न केवल उर्जा के क्षेत्र मदद करेगा, अपितु विश्व के समक्ष एक विकसित देश बनने के सपने को भी साकार करेगा तथा भारत की उर्जा जरूरतों को भी पूरा करेगा।

शीतयुद्ध काल में भारत के प्रति अमरीकी नीति दबाव व सहायता द्वारा भारत को अमेरिकी गुट में सम्मिलित करने की रही हैं परन्तु भारत की गुट निरपेक्षता की नीति व सोवियत संघ के प्रति विचारधारागत झुकाव के कारण भारत के प्रति भ्रम की स्थिति बनी रही। भारत–पाक सम्बन्धों में अमरीका का एकपक्षीय दृष्टिकोण, पाक को निर्बाध आर्थिक व सामरिक सहायता व सन् 1971 के भारत–पाक युद्ध में पाक का समर्थन आदि भारत विरोधी नीति के स्पष्ट लक्षण रहे हैं। एक ओर भारत द्वारा साम्यवादी चीन को मान्यता, वियतनाम समस्या के संदर्भ में भारतीय दृष्टिकोण, सन् 1971 की भारत–सोवियत संघ मैत्री संधि व भारत की परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने की नीति, तो दूसरी ओर अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत विरोधी प्रस्ताव एवं भारत पाक युद्ध में अमेरिका द्वारा सातवें बेड़े की धमकी आदि अनेक मुद्दे दोनों देशों के मध्य तनाव, टकराहट एवं कटुता के कारण रहे हैं।

21वीं शताब्दी में कदम रखते ही दोनों के सम्बन्धों में सकारात्मक मोड़ आया। मार्च 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए तथा सितम्बर, 2000 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य आतंकवाद परमाणु मुद्दों एवं संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार सम्बन्धी व्यापक चर्चा हुई। सन् 2001 में जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के राष्ट्रपति बनने के कुछ समय पश्चात् ही बदलते हुए विश्व परिदृश्य के मद्देनजर अमेरिका ने भारत के प्रति सकारात्मक रूख का परिचय दिया।[8]

दोनों देशों के इस परस्पर सहयोगात्मक रुख की चरम परिणति तब देखने को मिली जब 18 जुलाई, 2005 को जॉर्ज डब्ल्यू. बुश व डॉ. मनमोहन सिंह ने संयुक्त वक्तव्य जारी किया और वे दीर्घकालीन सामरिक भागीदारी एवं परस्पर लाभकारी हितों के लिये कार्य करने हेतु सहमत हुए। कालान्तर में यह वक्तव्य ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौते की नींव साबित हुआ।

इसके उपरान्त दोनों देशों में आपसी सम्बन्ध सुधारने के लिए एक दूसरे देश की वहां शासनाध्यक्षों ने यात्रा की तथा परमाणु परीक्षण, सी.टी.वी.टी. जैसे मुद्दो को भुलाकर पुनः सम्बधों को बहाल करने के लिए आतंकवाद, उदारीकरण एवं पर्यावरण प्रदूषण के क्षेत्र में सहयोग शुरू किया। इसी क्रम में 18 जुलाई 2005 में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने अमेरिका की ऐतिहासिक यात्रा कर जार्ज डब्ल्यू बुश से भारत–अमेरिका परमाणु असैन्य सहयोग समझौते पर सहमति प्रकट की और अमेरिका ने भारत को अप्रत्यक्ष रूप से परमाणु सम्पन्न देश का दर्जा दिया। इस प्रकार की सहमति प्रकट कर अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश ने भारत को रेसपोन्सिबल स्टैट विद् एडवान्सड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की संज्ञा दी।

इस प्रस्तावित असैन्य परमाणु सहयोग समझौते के तहत भारत में कार्यरत 22 रिएक्टरों को 14 असैन्य व 8 सैन्य क्षेत्र में विभाजित कर दिया गया और असैन्य क्षेत्र में रिएक्टरों पर आई.ए.ई.ए. की निगरानी रहेगी। इस प्रकार भारत की ऊर्जा जरूरत की पूर्ति हो सकेगी। इसके तहत भारत को पुनः परिष्करण का अधिकार भी दिया गया तथा उच्च तकनीकी एवं यूरेनियम अबाध गति से अमेरिका भारत को प्रदान करता रहेगा।

इस समझौते को भारतीय संसद, अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन, परमाणु आपूर्तिकर्ता संगठन एवं अमेरिकी संसद से सहमति काफी संघर्ष के बाद अक्टूबर, 2008 को स्वीकृति मिल पाई है। भारत एवं अमेरिका के हस्ताक्षर 11 अक्टूबर 2008 को होने पर यह समझौता कानूनी रूप ग्रहण कर चुका है। परिणाम स्वरूप भारत पर लगे 34 साल पुराने नाभिकीय प्रतिबंध समाप्त हो गये। इधर फ्रांस ने अमेरिका से पहले 30 सितम्बर 2008 को परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस भारत–अमेरिका असैन्य परमाणु सहयोग समझौते के द्वारा भारत की ऊर्जा जरूरत पूरी होगी एवं अमेरिका की आर्थिक मंदी दूर होगी, रोजगार के अवसर सुलभ होंगे, तथा दोनों को कृषि, स्वास्थय संचार प्रौद्योगिकी व ऊर्जा के क्षेत्र में मदद मिलेगी और भारत अमेरिका सम्बन्धों को एक नया आयाम मिलेगा। इन दोनों देशों में पारस्परिक मधुरता एवं सौहार्द पूर्ण सम्बन्धों का संचार होगा।[9]

विश्व के राजनीतिक परिदृश्य पर भारत और अमेरिका लम्बे समय तक अलग–अलग गुटों में रहे। जब एशिया और अमेरिका विश्व की दो सबसे बड़ी ताकतें थीं, तब विकासशील

भारत एशिया के खेमे में था। शीतयुद्ध के बाद दुनिया काफी बदल गई है और अमेरिका भी अब इतना ताकतवर नहीं रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की 6 से 9 नवम्बर 2010 भारत यात्रा की आर्थिक शक्ति और यहां व्यापार की संभावनाओं को जिस खूबी से पहचाना है, वह पहले दिन हुए व्यापारिक करारों की भरमार में साफ झलका है। भारत अमेरिका की ओर अदब से देखता था, लेकिन अब अमेरिका भारत की ओर मदद का हाथ बढ़ा रहा है। भारत के इतिहास में यह बड़ी घटना है। इसके अच्छे दूरगामी परिणाम आने वाले दिनों में दिखेंगे। अमेरिका–भारत अलग–अलग क्षेत्रों में कंधे से कंधे मिलाकर विकास की राह पर चलेंगे, यह कुछ वर्ष पूर्व किसी ने सोचा नहीं था।

भारत की परमाणु नीति उसकी सम्पूर्ण विदेश नीति के अन्तर्गत ही निहित है। भारत की परमाणु नीति से संबंधित दृष्टिकोण उसके विश्व दृष्टिकोण, उसकी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका, उसके द्वारा वर्तमान असमान विश्व व्यवस्था को नकारना, अग्रेजी साम्राज्यवाद से लेकर आज तक तीसरी दुनिया के देशों के साथ उसकी वचनबद्धता, पाश्चात्य विश्व की आधुनिकतम तकनीकों की समकक्षता आदि से जुड़ा हुआ हैं। भारत की विदेश नीति के मूलभूत तीन उद्देश्यों में राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास व विश्व व्यवस्था है। इस विश्व व्यवस्था के अन्तर्गत उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद व रंगभेद का विरोध करते हुए परस्पर सहअस्तित्व व सभी राष्ट्रों से मित्रता के साथ–साथ अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सद्भावना पैदा करना है। अतः परमाणु नीति के माध्यम से अपनी सुरक्षा एवं विकास को सुनिश्चित करते हुए एक ऐसे विश्व की स्थापना करना है जो सहयोग, सद्भाव व शान्ति पर आधारित हो।[10]

विश्व स्तर पर परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अलगाव को दूर करने तथा तीव्र गति से परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को आगे बढाने की दृष्टि से ही भारत ने वर्ष 2005 में अमेरिका के साथ असैनिक परमाणु समझौता किया। यह समझौता दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे दोनों देश नजदीक आयेगें। फिर चाहे ये समझौतो कृषि क्षेत्र में हो या व्यापार या तकनीक हस्तांतरण में सभी समझौते में दोनों देशों का लाभ हैं। दोनों देशों ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी सहयोग का समझौता किया हैं। इससे भारत के भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों में काफी मदद मिलेगी। इस समझौते से परमाणु ऊर्जा से बिजली के उत्पादन में तेजी आयेगी। अगले 10 वर्षों में सरकार ने परमाणु ऊर्जा से 40 हजार मेगावाट बिजली के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इस समझौते से परमाणु ऊर्जा को असैनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के तरीके विकसित करने संबंधी अनुसंधान और विकास कार्यों में अमेरिका और अन्य विकसित देशों से सहयोग मिल सकेगा। असैनिक परमाणु ऊर्जा के अनुसंधान पर भारत को अकेले जितनी लागत लगानी पड़ती है यह समझौता लागू हो जाने से उसमें बहुत अधिक कमी आ जाएगी। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से भारतीय वैज्ञानिकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सयुंक्त अनुसंधान परियोजनाओं में ज्यादा भागीदारी मिलेगी।

इस प्रकार आज भारत और अमेरिका कई मायनों में सांझेदार हैं। ऊर्जा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र हैं जहाँ दोनों देशों के बीच सहयोग की अपार भावनाएं मौजूद हैं। दूसरे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ रहा है जिसके अन्तर्गत आधारभूत विज्ञान, अंतरिक्ष, ऊर्जा, नैनोटेक्नोलोजी, स्वास्थ्य और सूचना प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र हैं। इनके अतिरिक्त द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की व्यापक संभावनाएं है। अमेरिका के नीतिगत व्यूह रचना में भारत इसलिए भी महत्व रखता है कि भविष्य में एशिया प्रशांत क्षेत्र में यदि चीनी प्रभाव को रोकना है तो एशिया में दोनों की रणनीतिक सांझेदारी आवश्यक है।

निष्कर्ष– भारत की परमाणु नीति और भारत–अमेरिका संबंध सदा ही गतिशील रहे हैं तथा उनमें समय–समय पर विभिन्न उतार–चढाव देखने को मिले है। भारत की परमाणु नीति सदा शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए रही है। यद्यपि शीतयुद्ध के समाप्ति के पश्चात् विश्व की महाशक्तियों के मध्य संघर्ष के बजाय सहयोग की मनोवृति विकसित होने लगी है। लेकिन दक्षिण एशिया में अभी भी भारत, पाकिस्तान व चीन के मध्य विश्वसनीयता का माहौल निर्मित नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान व चीन के नाभिकीय शस्त्र तकनीक प्रसार प्रकरण से स्पष्ट हो गया है कि चीन, पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को सीमा विवाद मुद्धों पर एशिया प्रशांत क्षेत्र में घेरने की व्यूह रचना कर रहा है ताकि भारत को दक्षिण एशिया से बाहर अपने विस्तार करने से रोका जा सके।

सन्दर्भ सूची

1. सुभाष शुक्ल : फॉरेन पॉलिसी ऑफ इण्डिया, अनामिका पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007, पृ. 29
2. यू.आर. घई, व के.के.घई : भारतीय विदेश नीति, न्यू एकेडमिक पब्लिशिंग कम्पनी, माई हीरागेट, जालंधर 2017, पृ. 541
3. कृष्णानंद शुक्ल : विश्व का परमाणु संकट और भारत की परमाणु नीति, राधा पब्लिकेशन, दरियागंज, नई दिल्ली 2008, पृ. 183
4. डॉ. दीनानाथ वर्मा : अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ज्ञानदा प्रकाशन, पटना 2009, पृ. 126
5. यू.आर. घई : भारतीय विदेश नीति, न्यू एकेडेमिक पब्लिकेशन कम्पनी, माई हीरा गेट, जालधंर 2015, पृ. 545
6. कृष्णानंद शुक्ल : विश्व का परमाणु संकट और भारत की परमाणु नीति, राधा पब्लिकेशन, दरियागंज, नई दिल्ली 2008, पृ. 184
7. सुरेन्द्र कुमार मिश्रा : भारतीय परमाणु नीति, निःशस्त्रीकरण व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, राधा पब्लिकेशन, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली 2014, पृ. 49–50
8. कृष्णानंद शुक्ल : "विश्व का परमाणु संकट और भारत की परमाणु नीति, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2008, पृ. 193
9. वेदप्रताप वैदिक : आलेख, राष्ट्रीय सहारा, गोरखपुर, 30 जुलाई, 2016, पृ. 36
10. दैनिक जागरण, गोरखपुर, 28 सितम्बर, 2015, पृ. 6